



2026:AHC-LKO:21617

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

रिट - ए संख्या - 3228 सन 2026

रुकमवीर सिंह (पीएनओ-912290070)

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ
एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	बीरेंद्र कुमार यादव, अमित कुमार
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 18

माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार

- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को और प्रतिवादियों के विद्वान राज्य अधिवक्ता को सुना गया।
- याचिका दिनांक 14.06.2025 के उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का स्थानांतरण गौतम बुद्ध नगर से सहारनपुर कर दिया गया है। दिनांक 03.11.2025 के कार्यभारमुक्ति आदेश को भी चुनौती दी गई है।
- यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ता का मामला रिट-ए संख्या 7025/2025 में दिनांक 24.07.2025 को पारित निर्णय और आदेश से पूर्णतः आच्छादित है, जो इस प्रकार है:-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान राज्य अधिवक्ता की दलीलें सुनी गई।
2. आज दाखिल किया गया प्रतिवाद अभिलेख में ले लिया गया है।
3. इससे पहले 4 जुलाई, 2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

“1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान राज्य अधिवक्ता की दलीलें सुनी गई।

2. दिनांक 14.06.2025 के उस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है जिसके तहत याचिकाकर्ता का स्थानांतरण कासगंज से अयोध्या में अग्निशमन कर्मियों के पद पर किया गया है।

3. यह निवेदन किया गया है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 15.02.2024 के सरकारी आदेश के प्रावधानों के विरुद्ध पारित किया गया है, जिसके तहत दमकलकर्मियों और अन्य समान पदों पर आसीन कर्मियों के तबादलों पर विचार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह निवेदन किया गया है कि उक्त समिति में दमकल सेवा महानिदेशक को समिति का अध्यक्ष और दमकल सेवा निदेशक या वरिष्ठतम राजपत्रित अधिकारी को महानिदेशक के नामित व्यक्ति सहित एक सदस्य के रूप में नामित किया गया है। यह निवेदन किया जाता है कि आक्षेपित आदेश उपरोक्त सरकारी आदेश द्वारा गठित समिति के अनुसार पारित नहीं किया गया है,

क्योंकि निदेशक या वरिष्ठतम राजपत्रित अधिकारी 06.06.2025 को हुई बैठक में स्थानांतरण संबंधी विचार-विमर्श में पक्षकार नहीं थे। यह निवेदन किया जाता है कि स्थानांतरण संबंधी निर्णय समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिया जाना आवश्यक था।

4. यह निवेदन किया जाता है कि स्थानांतरण से पहले, विभाग द्वारा दिनांक 27.03.2025 को एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें कर्मचारियों से तीन विकल्प देने को कहा गया था। इसके अनुसरण में याचिकाकर्ता ने हाथरस, मथुरा या फिरोजाबाद जिलों के लिए तीन विकल्प प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उक्त विकल्पों पर विचार किए बिना ही आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया है।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता को दिनांक 03.07.2025 के लिखित निर्देश दिए गए हैं, जिनकी एक प्रति अभिलेख में ली गई है, साथ ही दिनांक 06.06.2025 की रिपोर्ट की एक प्रति भी ली गई है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि निदेशक / वरिष्ठतम राजपत्रित अधिकारी अपनी अनुपलब्धता के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 03.07.2025 के लिखित निर्देश के अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि श्री अजय कुमार गुप्ता विभाग में उपलब्ध

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सबसे वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी थे, लेकिन दिनांक 13.09.2021 के आदेश द्वारा उन पर बड़ी सजा लगाई गई थी, जिसे बाद में उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया था। लेकिन चूंकि न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश को रिट याचिका संख्या 7037 / 2022 में इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, इसलिए उन्हें 06.06.2025 को आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था।

6. प्रथम दृष्टया, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलें दमदार हैं और प्रतिवादियों को दो सप्ताह का समय दिया जाता है ताकि वे प्रति-शपथ-पत्र दाखिल कर सकें, जिसमें विशेष रूप से यह बताया गया हो कि क्या इस तरह की प्रक्रिया पर सरकारी आदेश द्वारा गठित समिति के सदस्यों की भागीदारी के साथ पुनर्विचार किया जा सकता है।

7. इस मामले को 24.07.2025 को नए सिरे से सूचीबद्ध किया जाए।

8. अगली सुनवाई की तारीख तक, दिनांक 14.06.2025 के आक्षेपित आदेश का संचालन याचिकाकर्ता से संबंधित मामलों में स्थगित रहेगा।”

4. इसके अनुसरण में, प्रति-शपथ पत्र दाखिल किया गया है और इसके अनुच्छेद 3(ख) में, यह स्वीकार किया गया है कि अग्निशामकों के वार्षिक स्थानांतरण पर विचार करने के लिए 6 जून, 2025 को एक समिति का गठन किया गया था, लेकिन उप निदेशक के पद पर सबसे वरिष्ठ अधिकारी, श्री अजय कुमार गुप्ता को 13 सितंबर, 2021 के दंड आदेश के कारण समिति में शामिल नहीं किया गया था। उक्त अनुच्छेद स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उक्त दंड आदेश के विरुद्ध, श्री अजय कुमार ने एक दावा याचिका दायर की थी जिसे दंड आदेश को रद्द करते हुए स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध, रिट - ए संख्या 7037 / 2022 विचाराधीन है।

5. इसके मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि 15 फरवरी, 2024 के सरकारी आदेश के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, क्योंकि गठित की जाने वाली समिति का गठन उसके अनुसार नहीं किया गया था।

6. प्रतिवादियों की ओर से उपरोक्त स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 14 जून, 2025 के आक्षेपित स्थानांतरण आदेश को निरस्त किया जाता है और प्रतिवादियों को दिनांक 15 फरवरी, 2024 के सरकारी आदेश के अनुसार इस पहलू पर नए सिरे से विचार करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. परिणामस्वरूप याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है। पक्षकार अपना-अपना खर्च वहन करेंगे।

4. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने 13.12.2025 को स्थानांतरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

5. वर्तमान मामले में भी, समिति का गठन 15.02.2024 के सरकारी आदेश के अनुसार नहीं किया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश एक ऐसी समिति द्वारा पारित किया गया है जिसका गठन उपरोक्त सरकारी आदेश के अनुरूप नहीं किया गया है। विद्वान स्थायी अधिवक्ता इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके, न ही इस तथ्य का कि वर्तमान मामला उपरोक्त निर्णय के अंतर्गत आता है। तदनुसार, उक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू होगा।

6. उपरोक्त के मद्देनजर, दिनांक 14.06.2025 के आक्षेपित आदेश को, जहां तक यह याचिकाकर्ता से संबंधित है, निरस्त किया जाता है, और याचिकाकर्ता को वही स्वतंत्रता प्रदान की जाती है जो **बिशंभर दयाल गौतम (उपरोक्त)** के मामले में प्रदान की गई है। परिणामस्वरूप कार्रवाई की जाएगी।

7. परिणामस्वरूप, रिट याचिका सफल होती है और प्रवेश स्तर पर ही स्वीकार कर ली जाती है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्च वहन करेंगे।

मार्च 26, 2026

विनय/-

[न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।